राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 214/2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/01011

1. बाबुलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति मिणा निवासी वार्ड नं. 13 सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू
2. श्रीमती चन्द्रकंला पत्नी भागीरथ जाति मिणा निवासी वार्ड नं. 13 सिंघाना तहसील बुहाना, झुन्झुनू
3. सुबेसिंह पुत्र भागीरथ जाति मिणा निवासी वार्ड नं. 13 सिंघाना, तहसील बुहाना, झुन्झुनू राज
4. ऋषिकेश पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 13 सिंघाना तहसील बुहाना, झुन्झुनू राज.

..........वादी

बनाम

1. घीसाराम उर्फ जुगलकिशोर पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
   1/1. अशोक कुमार पुत्र घीसाराम
   1/2. मोहरसिंह पुत्र घीसाराम
2. श्रीमती बदामी देवी पत्नी महावीर प्रसाद
3. हरिमोहन पुत्र महावीर प्रसाद
4. विनोद पुत्र महावीर प्रसाद
5. सुमेर पुत्र महावीर प्रसाद
6. जगमोहन पुत्र महावीर प्रसाद

(क्रम 2 से 6) जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 13 सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

7. श्यामलाल पुत्र राजनाथ जाति मीणा वार्ड नं. 13 तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज
8. परमेश्वरी देवी पत्नी पुरूषोतम
9. सुरेन्द्र पुत्र पुरूषोतम
10. नरेश पुत्र जगदीश
11. रमेश पुत्र जगदीश
12. सुरेश पुत्र जगदीश
   12/1. निशा देवी पत्नी सुरेश कुमार पुत्रवधु जगदीश
   12/2. सन्नी मीणा पुत्र स्व. सुरेश कुमार नवीरा जगदीश
   12/3. नितेश पुत्र सुरेश कुमार नवीरा जगदीश
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 14–05–2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम भोदन तहसील बुहाना तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज स्थित भूमि आराजी जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के हाल खाता सं. 71 खसरा नम्बर 215 रकबा 2.54 है. मे वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादीगण सं. 2 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा यानि वादी सं. 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा हैं प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है लेकिन वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा सहवन से 1/15 दर्ज हो गया। जबकि प्रतिवादी सं. 2 व 4 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/30–1/30 दर्ज हिस्से के अनुसार ही प्रतिवादी सं. 3 का भी हिस्सा 1/30 दर्ज होना चाहिए थो जो दुरूस्ती योग्य है। प्रतिवादी सं. 7 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 व 9 का एवं प्रतिवादी सं. 10 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज कास्त है।
2. यह कि वाद वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने विधिवत रूप से विभाजन नहीं करवाया है। सभी संयुक्त रूप से कास्त करते है।
3. वाद वर्णित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी होने के कारण वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर लोन व संपरिवर्तन कराने व सुधार कार्य कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वादीगण के द्वारा वाद वर्णित भूमि का विभाजन कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर देने से वादीगण के लिए यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।
4. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज में स्थित है जो न्यायालय-श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।
5. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार यह वाद 2 रूपये निध्नरित न्यायलय शुल्क पर सेवार्पित है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). यह कि वाके ग्राम भोदन तहसील बुहाना तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज स्थित भूमि आराजी जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के हाल खाता सं. 71 खसरा नम्बर 215 रकबा 2.54 है. मे वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादीगण सं. 2 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किए जाने की कृपा करे।

(2). **दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 की ओर से श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रतिदावा पेश किया।

प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम रहा कि – वाके ग्राम भोदन तहसील बुहाना तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज स्थित भूमि आराजी जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के हाल खाता सं. 71 खसरा नम्बर 215 रकबा 2.54 है. भूमि वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादीगण सं. 2 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा यानि वादी सं. 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा हैं प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/30 हिस्सा है लेकिन वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा सहवन से 1/15 दर्ज हो गया। जबकि प्रतिवादी सं. 2 व 4 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/30–1/30 दर्ज हिस्से के अनुसार ही प्रतिवादी सं. 3 का भी हिस्सा 1/30 दर्ज होना चाहिए थो जो दुरूस्ती योग्य है। प्रतिवादी सं. 7 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 व 9 का एवं प्रतिवादी सं. 10 लगायत 12 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज कास्त है। वाद वर्णित भमि में प्रतिवादीगण व वादीगण ने अपने अपने हिस्से का बाहमी बंटवारा कर रखा है। प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारीसान व प्रतिवादी सं. 3 लगायत 11 तथा प्रतिवादी सं. 12 के विधिक वारीसान अपनी अपनी भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है। जिंसका हमे कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारीसान व प्रतिवादी सं. 3 लगायत 11 व प्रतिवादी सं. 12 के विधिक वारीसन का उनके हिस्से के अनुसार खाता विभाजन कर उक्त प्रतिदावा को डिक्री किए जाने की कृपा करे।

3). वादी की ओर से दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 ग्राम भोदन पेश कि गई।

4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 22.03.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 23–06–2021 को प्राप्त हुई । उभय पक्षकरान ने दिनांक 14–05–2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना में उपस्थित होकर राजीनामा की भावना से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–06–2021 के दावा को डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई।

5) बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भोदन तहसील बुहाना तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज स्थित भूमि आराजी जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के हाल खाता सं. 71 खसरा नम्बर 215 रकबा 2.54 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 14-05-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः—

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:— 214 / 2019
जीसीएमएस नम्बर :— 2019 / 01011
निर्णय दिनांक :— 14—05—2022

बाबुलाल आदि **बनाम** घीसाराम उर्फ जुगलकिशोर आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 की ओर से **श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **14—05—2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वांके ग्राम भोदन तहसील बुहाना तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं राज स्थित भूमि आराजी जमाबंदी सम्वत् 2075—78 के हाल खाता सं. 71 खसरा नम्बर 215 रकबा 2.54 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 14—05—2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना
झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.06.20 14:10:07 IST
Reason: SelfAttested